





न्यायालय उप जिला कलक्टर टोहाभीम

नांक	कार्य आह्वान
पुण 198/17	<p>तारीख 13-10-17</p> <p>इतिहास - अशराम बेनाम फिलोडवमेरु वगैरामु। दावावा बतई (तकशरइक व सागीनिषे धाजा। वादी की शोर से ही गदनगोहन डाग (खोकेट के दावावा बतई हो बणा प्रतीदारी अन्तर्गत धारा 38, 180 के तहत पेश किया। जब बन्दी का आव लो कन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीजनों के औपेय सम्मान से तखान कर दिनांक 2-11-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जगदीश आर्य अधिवक्ता कलक्टर टोहाभीम</p>
	<p>2-11-17 वादी वकील उप/ प्रतिवादीजण। ता 5 की समिल चाचा के शर 6 की देकर व 7 की खंयने दारा 8-9 की गाई से समिल हुई है। प्रतिवादी 10 की समिल हो चुकी है। 10 सा भिदिग में पशोर है। कले अभिग आदेग दिनांक 20-11-17 को पेश हो।</p>
30-11-17	<p>वादी वकील उप/ प्रतिवादी के उपलक्ष नक्षे हगे हा धने, सिकरु एड वक्षीप का (वासी) की जाती है वादी साहय पेश करने 20-12-17 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
20-12-17	<p>वादी वकील उप/ वादी साहय पेश बने दि 23-1-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
23-1-18	<p>वादी वकील उप/ वादी साहय पेश बने दिनांक 19-2-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>

5498/17

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	वर्णन
25.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी युगाय की डेप्युटिग मे जयपुर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 10.4.19 को पेश हो।
10.4.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी युगाय की डेप्युटिग मे जयपुर है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 15.5.19 को पेश हो।
15.5.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी युगाय की डेप्युटिग मे जयपुर पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 12-6-19 को पेश हो।
10.6.19	वादी वकील उपर/ कहर लेख लगभग 7/8। लगभग दिनांक 26.6.19 को पेश हो।
26.6.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी युगाय पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 16.7.19 को पेश हो।
16.7.19	वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी दोरे पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 22.7.19 को पेश हो।
22.7.19	वादी वकील उपर/ वादीगण भी उपस्थित। वादीगण वादी वकील ने कथन किया कि वादपत्र में बहने मोफ का जही बनाया है दावा दायता खतेदारी का ही है गया दावा पेश करने की अनुमति उदात्त बले हुए पर दावा खारिज का दिया जोब। सुनकर गया दावा पेश करने का संकेत है की अनुमति देते हुए यह दावा खारिज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नाब खारिज होकर दावा खारिज दफ्त हो।


 10/2/2019

 10/2/2019


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)